A.J. Shree = 1511
21/05/13

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की (हरिद्वार)

सुनेहरा रोड़, काशीपुरी, रूड़की – 247667 (उत्तराखण्ड)

Uttarakhand Board of Technical Education Roorkee (Haridwar)

Sunehra Road, Kashipuri, Roorkee-247667 (Uttarakhand)

Tele : 01332-266370, 266371 Fax : 01332-266349 Website : www.ubter.in

पत्र सं0 541–579 / उप्राशिप / नि0क्षेत्र0सं0 / सम्ब0 / 2013–14 दिनॉक 15 / 5 / 2013 पंजीकृत

सेवा में,

निदेशक / प्रधानाचार्य
Gyani Inder Sing Institute of
Professional Studies,
Dehradun

विषयः डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु संस्था को शैक्षिक सत्र 2013–14 हेतु परिषद् द्वारा सम्बद्धता प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) नई दिल्ली की वेबसाईट पर दिये गये अनुमोदन के उपरान्त आपके द्वारा उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की से सत्र 2013–14 हेतु परिषद् से सम्बद्वता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा जारी शासनादेश संख्या – 412/XLI-1/13-24/2011 दिनांक 13 मई 2013 (परिषद् की वेबसाईट www.ubter.in पर उपलब्ध) द्वारा सत्र 2013–14 हेतु प्रदेश के मैदानी जनपदों हरिद्वार, देहरादून एवं उधमसिंहनगर में निजी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तरीय किसी संस्थान को मान्यता दिये जाने एवं पूर्व संचालित डिप्लोमा स्तरीय निजी संस्थानों में नई शाखा खोलने एवं सीट वृद्धि हेतु राज्य सरकार की आपत्ति को AICTE को सूचित कर दिया गया है।

उक्त शासनादेश के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपके संस्थान को शैक्षिक सत्र 2013–14 हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति निम्नवत शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

Course (s)	Level	Approval Intake	Duration of Course (s)	Period of Approval
Pharmacy	Diploma	60	2 Years	2013-14

शर्तें:–

1. स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक संख्या में प्रवेश किसी भी परिस्थिति न दिये जायें।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या समयबद्ध पूर्ण करना संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
3. संस्थान द्वारा निर्मित समय–सारणी परिषद् को 15 जुलाई 2013 से पूर्व उपलब्ध करायी जायेगी।
4. निदेशालय / परिषद् द्वारा जारी शैक्षिक कलेण्डर (परिषद् की वेबसाईट पर उपलब्ध) का अनुपालन करना होगा।
5. उत्तराखण्ड शासन / निदेशालय / परिषद / ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा पूरे सत्र में किसी भी कार्य दिवस में किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है।
6. संस्थान को अपने परिसर को पूर्णतः रैगिंग मुक्त रखना होगा।

P.T.O.

7

7. संस्थान द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुरूप स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी।
8. यदि कोई छात्र संस्थान छोड़ता है तो ए0आई0सी0टी0ई0 के नियमानुसार फीस वापस करनी होगी।
9. TFW के अन्तर्गत जिन छात्रों को सीट आवंटित होगी उनसे Tution Fee नहीं ली जायेगी।
10. संयुक्त प्रवेश परीक्षा पालीटेकनिक्स–2013 के अन्तर्गत आयोजित काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित छात्रों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा।
11. उत्तराखण्ड शासन/निदेशालय/परिषद् द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का संस्थान द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
12. निजी क्षेत्र के पालीटेकनिक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1363/XXIV(8)/2009-03/04 दिनॉक 27 अक्टूबर, 2009 एवं 600/XXIV(8)/2010-51/2005 दिनॉक 28 अप्रैल 2010 के अनुसार शुल्क लिया जायेगा।
13. डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने की दशा में संस्था को नियमतः फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या अधिक का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(हरि सिंह)
सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष परिषद् को महोदय के अवगतार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, कानपुर।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर गढ़वाल।
5. उप सचिव/परीक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की।
6. गार्ड फाईल परिषद।

(हरि सिंह)
सचिव